भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग **92** के बेवर से इटावा भाग का सुधार एवं उन्नयन कार्य के लिए

पुनर्वास कार्य योजना

का

कार्यकारी सारांश

1.1. पृष्ठभूमि

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (MoRT&H) प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में लगा हुआ है और इस प्रयास के हिस्से के रूप में, प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य में NH-92 के बेवर से इटावा तक के खण्ड को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में NH-92 के बेवर से इटावा तक परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और वित्तिय व्यवहार्यता स्थापित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के बेवर से इटावा तक के खण्ड के पुनर्वास और उन्नयन के लिए डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मै0 रेडकॉन (I) प्रा0 लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। 6 नवंबर, 2017 को लखनऊ में UPPWD और रेडकॉन के अधिकारीयों के साथ हुई चर्चा में इस परियोजना को क्रमशः दो पैकेजों में वितरित किया गया है, जो निम्नलिखित हैः–

- पैकेज IA: चैनेज 0+000 से चैनेज 30+000
- पैकेज IB: चैनेज 30+000 से चैनेज 57+346

इस रिपोर्ट का दायरा पैकेज IA (चैनेज 0+000 से चैनेज 30+000) तक सीमित है। परियोजना में NH-92 का प्रारंभ बिन्दु NH-91 और NH-92 (मौजूदा 0.000 किमी0) के 'Y' जंक्शन है। बेवर से गुजरने के बाद यह दक्षिण की ओर जाती है, और 30.000 किमी0 पर गांव करीं के निकट से होते हुए, और आगे इटावा के लिए जाती है।

1.2. परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना की परिकल्पना राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-92) गलियारे में यातायात के सुरक्षित और कुशल आवागमन क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है। जहां यातायात की गहनता में काफी वृद्धि हुई है। इन चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, कम परिवहन लागत पर, एंव कम रुकावट के साथ और कम समय में तेज और सुचारु परिवहन की सुविधा, उपलब्ध होगी, मौजूदा विकास केद्रों के आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा, नए विकास केंद्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, रोजगार सृजन और परिणामतः परियोजना क्षेत्रों में गरीबी को समाप्त करेगा।

1.3. दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

सामाजिक प्रभावों के आकलन और उचित शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए अंतनिर्हित दृष्टिकोण, स्थानीय भागीदारी के सिद्धांतों और कमजोर समूहों सहित हितधारकों के साथ परामर्श पर आधारित है। परामर्शी प्रक्रियाओं और तकनीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से हितधारकों, विशेष रुप से परियोजना लाभार्थियों और संभावित प्रभावित व्यक्तियों को शामिल करके एक भागीदारी दृष्टिकोण के साथ एसआईए (SIA) अध्ययन किया गया है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के ऑकडें एकत्र करके प्रभावों का आकलन किया गया है।

1.4. पुनर्वास कार्य योजना (RAP) के उद्देश्य

RAP यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि प्रभावित व्यक्ति (i) पुनर्वास से सम्बंन्धि उनके विकल्पों और अधिकारों के बारे में सूचित हो, (ii) परियोजना के कारण संपति के नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर त्वरित और प्रभावी मुआवजा प्रदान किया जाय, (iii) पुनर्वास के दौरान और संक्रमण अवधि के लिए उनकी आजीविका और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए सहायता (जैसे स्थांनातरण भत्ता, संक्रमण भत्ता आदि) प्रदान की ओर हो (iv) मुआवजे के अलावा कौशल विकास सहायता जैसे प्रशिक्षण प्रदान कियज्ञं हो

आरएपी (RAP) के उद्देश्य हैः–

- प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करना और शमन उपायों का निर्धारण करना।
- पुनर्वास के बाद की अवधि में प्रभावित व्यक्तियों हेतु मुआवजे के भुगतान और आजीविका बहाल करने और जीवन स्तर में सुधार या वैसा ही बनाए रखने के लिए पात्रता और कार्य योजना प्रस्तुत करना।

1.5. परियोजना प्रभाव

परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक रुपरेखा, प्रभावित होने वाली भूमि, संरचनाओं और अन्य संपत्तियों के लिए आयोजित गणना एंव सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। गणना सर्वेक्षण जुलाई 2020 ये के दौरान ज्ञात होता है कि 80 अतिक्रमणकारी संरचनाएं (including 64 Kiosk) और 12 CPR परियोजना में प्रभावित होगी, कोई निजी संरचना परियोजना से प्रभावित नहीं होगी, इस पैकेज (चैनेज 0+000 से चैनेज 30+000) में भूमि अधिग्रहण भी नहीं होगी। कुल 92 संरचनाएं परियोजना गतिविधियों के कारण प्रभावित होगी। 92 संरचनाओं में से 16 स्क्वाटर हैं, 64 कियोस्क हैं (गणना सर्वेक्षण के दौरान सभी बंद पाए गए), 7 सरकारी संरचनाएं और 5 धार्मिक संरचनाएं हैं। कुल कमजोर परिवार प्रभावित हो रहे हैं। कुल 81 निजी संरचनाए प्रभावित हो रही है, इसमें एक टाइटल धारक (TH) जिसकी संरचना आंशिक रुप से प्रभावित है और 80 गैर टाइटल धारक (Non TH) जिनकी अस्थायी प्रकार की सरंचनाएं हैं। 80 संरचनाओं में से, 13 आवासीय और 67 वाणिज्यिक संरचनाएं हैं। परियोजना प्रभावित आबादी (PAP) की संख्या 152 (16 स्क्वाटर) है जिसमें 57.89% पुरुष और 42.11% महिलाएं शामिल हैं ।

0.2555 हेक्टेयर का निजी भूमि अधिग्रहण होगा जिसमें 38 भूखण्ड शामिल हैं, जिसका अनुमानित प्रभाव प्रस्तावित परियोजना के दो गांवों किशनी, कुसमरा में 105 HH (एक संरचना सहित) पर होगा। भूमि अधिग्रहण से बचने और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित सड़क की पूरी परियोजना की तैयारी और डिजाइन के अभिन्न अंग के रुप में सचेत प्रयास किए गए है। जहां भी अपरिहार्य हो, परियोजना के लिए डिजाइन हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावों को कम करने के प्रयास किए गए है। सुधार की योजना उपलब्ध भूमि की चौड़ाई (EROW) के भीतर प्रस्तावित है। क्रास सेक्शन Cross Section को मौजूदा भूमि की चौड़ाई (EROW) के साथ समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सड़क के वास्तविक निर्माण के लिए कॉरिडोर ऑफ इम्पैक्ट (COI) में आवश्यक चौड़ाई, जिसमें कैरिजवे, शोल्डर और तटबंध शामिल है, की आवश्यकतानुसार परियोजना डिजाइन के लिए सामाजिक इनपुट यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकार्य डिजाइन में COI कम हो और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए मानकों के अनुसार हो।

1.6. सार्वजनिक परामर्श

परियोजना गलियारे में सड़क के किनारे उपस्थित समुदायों के साथ 3 स्थानों पर सार्वजनिक परामर्श बैठकें आयोजित की गई और प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों के बारे में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए गए। परामर्शों ने प्रभावों को कम करने, डिजाइन में सुधार और पुर्नवास योजना की तैयारी और इसके कार्यान्वयन के लिए इनपुट प्रदान किए है। सुझावों के आधार पर, पुनर्संरेखण और बाईपास सहित डिजाइन संशोधन, पैदल यात्री क्रॉसिंग, चेतावनी संकेत, चिह्नाकंन आदि जैसे सड़क सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया हैं।

1.7. कार्यान्वयन व्यवस्था

सस्थागत व्यवस्थाएं तीन स्तरों पर स्थापित की जांएगी & MoRT&H (केन्द्र सरकार), राज्य स्तर और उप–परियोजना स्तर साझेदारी मॉडल पर, जिसमें विभिन्न स्तरों पर संबधित एजेंसियां एक दूसरे के प्रयासों के अनुपूरक और समपूरक है। सस्थागत व्यवस्थाओं के प्रमुख तत्व सहयोग/समर्थन, सहभागिता और स्पष्ट रुप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ जिम्मेदारियों को साझा करना, प्रमुख हितधारकों की भागीदारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच लंबवत और क्षैतिज संबंध हैं।

1.8. श्रम प्रबंधन योजना

चूंकि परियोजना में निर्माण कार्य शामिल है जो मजदूरों की निरंतर आपूर्ति की मांग करेगा, आमद प्रवासी श्रमिकों की सख्या मौजूदा संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। कम से कम प्रवासी और अधिकाधिक स्थानीय मजदूर परियोजना की आवश्यकता होगी। कार्यबल में आम तौर पर एकान्त प्रवासी पुरुष होते हैं और यह मेजबान आबादी के लिए एक संभावित जोखिम हो सकता है। हांलाकि कई मामलों में प्रवासी पुरुष सदस्य अपने परिवार को उसके साथ स्थानांतरित कर सकता है। विशेष रुप से श्रम बल की आमद से हो सकता है–

- श्रम बल और स्थानीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक अंतर के कारण संघर्ष और सामाजिक अंशाति का जोखिम
- श्रमिकों और स्थानीय समुदाय की परम्परा क्रिया से संचारी रोगों के फैलने का जोखिम
- लिंग आधारित हिंसा का जोखिम
- बाल सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का जोखिम
- स्वच्छता सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण के मेजबान समुदाय के लिए स्वास्थ्य जोखिम
- स्थानीय संसाधनों और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव

ESIA में पहचाने गए जोखिमों के आधार पर श्रम प्रवाह जोखिम का आकलन और प्रबंधन करने के लिए परियोजना बनाना। जोखिम कारकों और उनके स्तर पर आधारित उपयुक्त साइट–विशिष्ट श्रम प्रवाह प्रबंधन योजना और श्रमिक शिविर प्रबंधन योजना।

1.9. शिकायत निवारण तंत्र (GRM).

पुनर्वास नीति ढांचा (RPF), विवादों को प्रभावी तरीके से और PAP के समक्ष हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के गठन को अनिवार्य करता है। परियोजना RAP कार्यान्वयन में एक कुशल शिकायत निवारण तंत्र (GRM) की आवश्यकता है जो कि प्रभावित जनसंख्या को उनके प्रश्नों और शिकायतों को हल करने में सहायता करेगा। इसलिए शिकायत निवारण समिति (GRC) का गठन शिकायत निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और यह अनुमान लगाया गया कि सभी शिकायतें नहीं, तो उनमें से अधिकांश, GRC द्वारा निस्तारित कर दी जाएगी। शिकायत निवारण के समिति के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों का विवरण GRM के अध्याय 11 में दिया गया है।

1.10. रैप कार्यान्वयन अनुसूची

कॉरीडोर का निर्माण कार्यकाल 18 महीने का है। स्थलीय रुप में पुनर्वास, अभ्यास और सिविल कार्यों के लिए भार मुक्त भूमि सौंपने में 5 महीने लगेंगे और इसके बाद NGO सड़क सुरक्षा, HIV/AIDS की रोकथाम पर जागरुकता कार्यक्रम, PAP के लिए प्रशिक्षण, समग्र निगरानी की सुविधा आदि उपलब्ध कराएगा।

1.11. पुनर्वास बजट

13.15 करोड़ रुपये के पुनर्वास बजट में संरचनाओं (संपत्ति, धार्मिक भवन और सामुदायिक सम्पत्ति) हेतु मुआवजा, R&R सहायता और आकस्मिक/अप्रत्याशित लागतों जैसे घटक शामिल हैं।